

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

संशोधन/शुद्धि पत्र

दिनांक-22/07/2026

विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-17 के स्तम्भ-4 में अंकित "संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना" के स्थान पर "संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना सम्प्रति, गया जी वन प्रमंडल, गया जी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुये" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-37 के स्तम्भ-5 में अंकित "उप निदेशक, चारा विकास, (मु0स्तर), आरा, भोजपुर" के स्थान पर "उप निदेशक, (चारा), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), आरा" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-79 के स्तम्भ-5 में अंकित "रक्षि पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, कोसी क्षेत्र, सहरसा" के स्थान पर "रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, कोसी क्षेत्र, सहरसा" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-102 के स्तम्भ-5 में अंकित "सहायक प्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर" के स्थान पर "सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-127 के स्तम्भ-5 में अंकित "सहायक कुक्कुट पदाधिकारी (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर" के स्थान पर "सहायक कुक्कुट पदाधिकारी (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

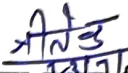
6. विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-146 के स्तम्भ-5 में अंकित "स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर" के स्थान पर "स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या-3258-सह-पठित ज्ञापांक-3259, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-194 के स्तम्भ-5 में अंकित "सहायक निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), जहानाबाद" के स्थान पर "सहायक निदेशक (प0वि0), ल0प0वि0परि0 (मु0स्तर), जहानाबाद" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

8. विभागीय अधिसूचना संख्या-3260-सह-पठित ज्ञापांक-3261, दिनांक-28.06.2026 के क्रम संख्या-290 के स्तम्भ-2 में अंकित "डॉ० प्रभाकर कुमार पांडेय" के स्थान पर "डॉ० प्रभाकर कुमार पाण्डेय" एवं स्तम्भ-5 में अंकित "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलवाड़ा, दरभंगा" के स्थान पर "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कसरौर, बेलवाड़ा, दरभंगा" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

9. विभागीय संशोधन/शुद्धि-पत्र संख्या-3309, दिनांक-30.06.2026 के क्रम संख्या-76 के स्तम्भ-6 में अंकित "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बहुदरी, खगड़िया" के स्थान पर "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बहादुरपुर, खगड़िया" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

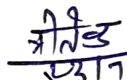
उक्त अधिसूचना/शुद्धि पत्र की शेष बातें यथावत रहेगी।


(जीतेन्द्र कुमार मिश्रा)

सरकार के अवर सचिव।

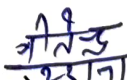
ज्ञापांक:-1/स्था० (7) 03/2026- 3890 /पटना-15, दिनांक- 23/07/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था० (7) 03/2026- 3890 /पटना-15, दिनांक- 23/07/2026

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित विशेष उप निदेशक, पशुपालन/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।